बिहार विधान परिषद कार्य सूची

संख्या-21 188वां सत्र

सोमवार, दिनांक 2 अप्रील, 2018

12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नियमावली एवं अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे
6. प्रभारी मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे

ध्यानाकर्षण

7. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
8. श्री कृष्ण कुमार सिंह, पुआल काटने और पैक करने वाली मशीन पर किसानों को अनुदान देने और प्रोत्साहन राशि मुहैय्या कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

9. श्री सोनेलाल मेहता, खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया-सोनमनकी पी.डब्लू.डी. पथ के पाँच किलोमीटर के निकट से बछौता पंचायत होते हुए भिरियाही पोखर-खगड़िया-अलौली पथ के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

10. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव, नालन्दा जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यकाल की जाँच कराकर विभागीय कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगी।

11. श्री केदार नाथ पाण्डेय, सिपाही पंडित एवं राजनाथ प्रसाद साह दोनों आदेशपाल एस.एस. उच्च विद्यालय, भगवानपुर जिला-सीवान का वेतन भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

12. श्री राधाचरण साह, पटना नगर निगम की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

13. श्री संजय प्रसाद, जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम-नोआवां के पास नदी में स्लुईस गेट का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

14. श्री सुबोध कुमार, वैशाली जिलान्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप के परिवहन अभिकर्त्ता के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

15. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव, श्री राजन कुमार सिंह, श्री हरिनारायण चौधरी, श्री दिलीप राय, श्री सुबोध कुमार, श्री संजय प्रसाद एवं श्री रजनीश कुमार, स्थानीय निकाय से निर्वाचित विधान परिषद् के सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

16. श्री लालबाबू प्रसाद, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में बिहार के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

17. प्रो० नवल किशोर यादव, पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित रहने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

18. डा० सूरज नन्दन प्रसाद, डी.एन. कॉलेज, मसौढ़ी, पटना में शासी निकाय के गठन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

19. डा० रणवीर नन्दन, डाकबंगला चौराहा का नाम बदलकर "डा० सच्चिदानन्द सिन्हा चौराहा" करने एवं उनकी मूर्त्ति स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

20. प्रो० नवल किशोर यादव के, डा० एच.एन.दिवाकर, निदेशक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, शास्त्री नगर, पटना के सेवाकाल के क्रियाकलापों की जाँच करने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य
21. श्री राणा गंगेश्वर सिंह एवं श्री शिव प्रसन्न यादव के, सुलभ शौचालय अथवा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा कमाई का अंश राज्य सरकार को नहीं दिये जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य
22. सर्वश्री अवधेश नारायण सिंह, प्रो० नवल किशोर यादव एवं डा० सूरज नन्दन प्रसाद के, सिद्धेश्वरी संस्कृत उच्च विद्यालय, पचरूखिया, भोजपुर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

विधायी कार्य

बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018

23. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 पर विचार हो
24. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 पारित हो

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018

25. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 पर विचार हो
26. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 पारित हो
27. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

Pawar 28.3.18

(सुनील कुमार पंवार)
सचिव
बिहार विधान परिषद्